एमपी इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल

16–ए. अरेरा हिल्स, सेडमेप परिसर, भोपाल

–: मासिक किराये पर वाहन अनुबंध हेतु निविदा क्र 51 दिनांक 19/08/2021 :–

कार्य का नाम – मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. कार्यालय में कार्यालयीन उपयोग हेतु मासिक किराये पर वाहन अनुबंधित करने के लिये प्रतिष्ठित संस्थाओं से निविदा आमंत्रित की गई है।

अ) निविदा शुल्क – रू. 2360.00 (Rs. 2000.00 + GST @ 18%)
ब) प्रतिभूति राशि – रू. 25000.00
स) अनुबंध काल – 02 वर्ष
द) परफॉर्मेन्स गारंटी – स्वीकृत अनुबंध राशि का 5 प्रतिशत

महत्वपूर्ण तिथियां :–

अ) निविदा आमत्रण की तिथि – 19.08.2021 03.00 PM
ब) निविदा प्रपत्र क्रय करने की अंतिम तिथि– 07.09.2021 05.30 PM
स) निविदा जमा करने की अंतिम तिथि – 07.09.2021 05.30 PM
द) निविदा खोलने की तिथि – 08.09.2021 03.00 PM

निविदा प्रपत्र एवं विस्तृत नियम व शर्तें दिनांक 07.09.2021 शाम–5.30 बजे तक कार्यालयीन समय में (अवकाश दिनों को छोड़कर) कार्यालय से रू. 2360.00 (Rs. 2000.00 + @18% GST) का बैंक ड्राफ्ट जमा कर (जिसकी वापसी नहीं होगी) प्राप्त किये जा सकते है।

यह अभिलेख आयडीसी की वेबसाईट www.invest.mp.gov.in पर भी जानकारी उपलब्ध है एवं वेबसाईट से भी डाउनलोड भी किया जा सकता है, पर कार्यालय में प्रस्तुत करने के पूर्व रू. 2360/– का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा।

निविदायें दिनांक 07.09.2021 तक (कार्यालयीन समय में) रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा प्राप्त की जावेगी। प्राप्त निविदायें दिनांक 08.09.2021 को उपस्थित निविदाकर्ताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी।

नियम व शर्ते :–

1. निविदा के साथ किसी राष्ट्रीकृत बैंक द्वारा जारी किये गये रूपये 25,000.00 का बैंक ड्राफ्ट जो कि 'प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि0 भोपाल' के नाम से देय हो अथवा रूपये 25,000.00 की बैंक गारंटी जो कि कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए वैध हो, प्रतिभूति राशि के रूप में प्रस्तुत करना होगा अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

2. निविदायें रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही प्राप्त की जायेगी तथा निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। डाक द्वारा विलम्ब से प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा, न ही कार्यालय इसके लिए उत्तरदायी होगा।

3. निविदाकर्ता को आयकर रजिस्ट्रेशन (प्रोपराईटर/फर्म का), जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन तथा नगर निगम द्वारा जारी स्थापना के प्रमाण पत्र की प्रति निविदा के साथ प्रस्तुत करनी होगी। शासन के नियमानुसार किसी प्रमाण पत्र/पंजीयन इत्यादि दस्तावेज की यदि भविष्य में आवश्यकता हो तो उपलब्ध कराना होगा।

4. संबंधित कार्य का कम से कम 03 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है।

5. निविदाओं में भण्डारक्रय नियम/कर इत्यादि में परिवर्तन की स्थिति में समय–समय पर शासन द्वारा निर्धारित नीति मान्य होगी।

6. दरों के अनुमोदन के पश्चात्, जिस निविदाकर्ता को मासिक किराये पर वाहन हेतु लिखित आदेश दिये जाने पर प्रतिदिन कार्य करना होगा। इस संबंध में निविदाकर्ता द्वारा एमपीआईडीसी के साथ निर्धारित प्रारूप पर अनुबंध नियमानुसार निष्पादित किया जायेगा।

7. निविदाकर्ता द्वारा संतोषप्रद कार्य नहीं करने अथवा कार्य करने में असमर्थता व्यक्त करने की स्थिति में अनुबंध निरस्त करते हुये प्रतिभूति राशि जप्त कर ली जायेगी तथा न्युनतम दुसरे क्रम वाले निविदाकर्ता से कार्य करवाया जायेगा।

8. निविदाकर्ता के कर्मचारियों को कलेक्ट्रेट रेट पर भुगतान करना अनिवार्य है, जिसका प्रमाण कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

9. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि0 के प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित रहेगा।

10. इस मामले में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि0 के प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। न्यायिक क्षेत्र भोपाल रहेगा।

11. स्वीकृत निविदा दर, स्वीकृत दिनांक से 02 वर्ष के लिये प्रभावशील रहेगी। जो कि आवश्यकतानुसार आपसी सहमति से समान दरों व शर्तो के आधार पर अधिकतम एक वर्ष की समयावधि तक बढ़ाई जा सकेगी। निविदा प्रपत्र अहस्तांतरणीय होगा।

12. जी.एस.टी. का भुगतान अलग से किया जायेगा।

13. प्रबंध संचालक, एमपीआईडीसीलि., भोपाल को यह अधिकार होगा कि निविदाकार द्वारा प्रस्तुत किये दस्तावेजों का परीक्षण कराया जा सकता है।

14. कोई निविदाकार संयुक्त रूप से या अलग–अलग एक से अधिक निविदा जमा नहीं कर सकता। यदि वह ऐसा करता है, तो निविदा अमान्य मानी जाएगी।

15. चयनित निविदाकार समस्त वाहन चालकों का नियमानुसार EPF & ESI की कटोत्री कर EPF & ESI कार्यालय में जमा कराई जायेगी तथा EPF & ESI भुगतान किये गये चालान की प्रति प्रतिमाह इस कार्यालय में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, तदोपरांत ही मासिक वाहन किराये का भुगतान किया जायेगा।

प्रस्ताव की प्रस्तुति :–

निविदाकर्ता को निविदा निम्नानुसार तीन लिफाफों में प्रस्तुत करना होगा :–

अ. <u>लिफाफा क्रमांक एक में निम्नलिखित दस्तावेज रखे जायेंगे :–</u>

1. निविदा शुल्क का प्रमाण।
2. प्रतिभूति राशि का बैंकड्राफ्ट/बैंक गारंटी।

ब. <u>लिफाफा क्रमांक दो में निम्नलिखित दस्तावेज रखे जायेंगे :–</u>

1. शासकीय/अर्द्धशासकीय/प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा जारी कार्य अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
2. नगर निगम द्वारा जारी स्थापना के प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
3. पैन नम्बर एवं जीएसटी नम्बर की छायाप्रति।
4. निविदाकर्ता के बारे में निर्धारित प्रपत्र में जानकारी (प्रपत्र–अ)।

स. <u>लिफाफा क्रमांक तीन में निम्नलिखित दस्तावेज रखे जायेंगे :–</u>

1. निर्धारित प्रपत्र (ब) में प्रस्तावित दरों की जानकारी।

* लिफाफा क्रमांक–1 एवं लिफाफा क्रमांक–2 एवं लिफाफा क्रं. 03 को (तीनों लिफाफो को) एक बड़े लिफाफे में बन्द कर/सील कर उसके उपर स्पष्ट रूप से ''<u>**मासिक किराये पर वाहन अनुबंध हेतु निविदा क्र 51 दिनांक 19/08/2021**</u>'' अंकित कर डाक द्वारा कार्यालय के निम्न पते पर भेजना होगा :–

पता :–<u>**प्रबंध संचालक,**</u>
<u>**एमपीआईडीसीलि., 16–ए,**</u>
<u>**सैडमैप भवन, अरेरा हिल्स,**</u>
<u>**भोपाल–462011**</u>

* यदि खोले गये लिफाफे में निविदा शर्तो में उल्लेखित दस्तावेज नहीं पाये जाते है तो उस निविदाकर्ता का आगामी लिफाफा नहीं खोला जायेगा एवं निविदा प्रपत्र अमान्य कर दिया जावेगा।

<u>**प्रतिभूति राशिः–**</u>

1. सफल निविदाकर्ता की धरोहर राशि अनुबंध किये जाने एवं परफॉर्मेंश गारंटी जमा किये जाने के उपरांत वापिस की जायेगी।
2. असफल निविदाकर्ताओं की धरोहर राशि वापिस की जायेगी।
3. यदि सफल निविदाकर्ता यदि किसी कारण से विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अनुबंध करने पर विफल हो जाता है तो परिणामस्वरूप धरोहर राशि जप्त कर ली जायेगी।

<u>**परफॉर्मेन्स गारंटी :–**</u>

1. सफल निविदाकर्ता को अनुबंध राशि का 05 प्रतिशत परफॉर्मेन्स गारंटी फिक्स डिपोजिट/बैंक गारंटी के रूप में देना होगा।

<u>अनुबंध :–</u>

1. एम.पी.आई.डी.सी.लि., सफल निविदाकार को स्वीकृति पत्र के द्वारा सूचित करेगा कि उसकी बोली स्वीकार कर ली गई है।
2. सफल निविदाकार को स्वीकृति पत्र जारी होने के 15 दिवस में परफॉर्मेन्स गारंटी जमा कर अनुबंध करना होगा। यदि 15 दिवस में अनुबंध नहीं किया जाता है तो प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जायेगी।

कार्य का क्षेत्र :–

01. दरो के अनुमोदन के पश्चात निविदाकर्ताओं को आदेश दिया जायेगा। उन्हें आदेश के अनुसार निर्धारित समय सीमा में वाहन उपलब्ध कराना होगा। इस संबंध में निविदाकर्ता द्वारा एमपीआयडीसी के साथ निर्धारित प्रारूप पर अनुबंध नियमानुसार निष्पादित किया जायेगा। कार्य करने में असमर्थता व्यक्त करने पर प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।

02. निम्न श्रेणी के वाहनों हेतु निविदायें आमंत्रित की जाती है –

क्र.	**वाहन की श्रेणी**
1.	स्वीफट डिजायर (ए.सी. डीजल)
2.	इंनोवा (ए.सी. डीजल)
3.	इंनोवा क्रिस्टा (ए.सी. डीजल)
4.	टाटा जेस्ट (ए.सी. डीजल)
5.	महिन्द्रा बुलेरो (ए.सी. डीजल)

03. <u>वाहनों की दरें निम्न आधार पर प्रस्तुत करना होगी –</u>

(i) दरें प्रतिमाह 2000 कि. मीटर हेतु प्रस्तुत करें।
(ii) अतिरिक्त किलोमीटर की दर

04. वाहन कार्मशियल/टेक्सी कोटे का होना आवश्यक है।

05. वाहन का माडल वर्ष 2020 से पूर्व का नहीं होना चाहिये। माडल 2021 को प्राथमिकता दी जावेगी।

06. वाहन पूरे समय (अर्थात 24 घंटे) निगम के अधिपत्य में रखना होगा।

07. वाहन में खराबी होने अथवा अन्य किन्हीं कारणों से उपलब्ध न कराने की स्थिति में उसी श्रेणी का अन्य वाहन उपलब्ध कराना होगा, अन्यथा प्रति दिवस रूपये 1000.00 की दर से कटौत्री की जावेगी। वाहन में इंधन अथवा ड्राइवर की अनुपस्थिती भी वाहन की अनुपलब्धता मानी जावेगी।

08. निविदाकर्ता द्वारा अनुबंध समाप्ती हेतु कम से कम दो माह पूर्व लिखित में नोटिस देना होगा।

09. वाहन की यात्रा वाहन को उपयोग करने वाले अधिकारी द्वारा सत्यापित की जावेगी जिसके लिये वाहन में लॉग बुक रखना अनिवार्य होगा।

10. वाहन का माइलोमीटर चालू हालत में तथा सही रखना अनिवार्य होगा। यदि माइलोमीटर गलत/त्रुटिपूर्ण पाया गया तो अतिरिक्त माइलेज की राशि का दुगना निविदाकर्ता के देयक से वसूल किया जावेगा। साथ ही इसके आधार पर इसे आवांछिनी कृत्य मानते हुये अनुबंध निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।

11. वाहन की मरम्मत तथा शासकीय करों आदि के व्यय निविदाकार को स्वयं वहन करना होगा एवं निविदादाता अथवा वाहन चालक द्वारा मरम्मत या अन्य कार्य के लिये वाहन ले जाये जाने पर की गई अशासकीय यात्रा का भुगतान विभाग द्वारा नहीं किया जावेगा।

12. वाहन के साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना या क्षति के लिये विभाग जिम्मेदार नहीं रहेगा, उसके लिये निविदाकार स्वयं जिम्मेदार होगा।

13. प्रवास के दौरान मार्ग में वाहन से संबंधित कोई असुविधा होने पर निविदाकार अपनी व्यवस्था एवं स्वयं के व्यय से अधिकारी को गंतव्य तक पहुंचाने एवं लाने हेतु उत्तरदायी होगा।

14. वाहन चालक के पास वैद्य कामर्शियल लायसेन्स होना चाहिये तथा उसका आचरण/व्यवहार सामान्यतः अच्छा होना चाहिये। वाहन चालक के आचरण अथवा व्यवहार के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर वाहन तत्काल बंद कर दिया जावेगा, तथा निविदाकार को वाहन चालक बदलकर देना होगा। इस प्रकार होने वाली असुविधा को अनुबंध की शर्तों का उलंघन माना जायेगा और इसके आधार अनुबंध निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।

15. वाहन चालक को वाहन चलाते समय सभी यातायात नियमों व विनियमों का पालन करना होगा।

16. जिस वाहन चालक को जो वाहन सौपा जायेगा, उसे उस वाहन को एक वर्ष की अवधि के लिये चलाना होगा। यदि वाहन चालक दूसरा रखा जाता है, तो उसकी सूचना 24 घंटे पूर्व संबंधित अधिकारी को देनी होगी।

17. निविदाकर्ता द्वारा सभी वाहनों का इंश्योरेंश होना अनिवार्य है।

18. यदि वाहन माह में 15 दिन से कम चलता है तो आधे माह का किराया भुगतान किया जायेगा और 15 दिन या उससे अधिक चलता है तो पूरे माह का किराया भुगतान किया जायेगा।

19. यदि कार्यालयीन आवश्यकताओं के कारण अल्प समय हेतु अतिरिक्त वाहन की आवश्यकता होती है, तो उसकी पूर्ति भी सफल निविदाकार द्वारा कराई जायेगी जिसका भुगतान इस निविदा में दी गई दर के अनुसार ही होगा।

20. यदि कोई भी वाहन बदलने की आश्यकता होती है तो उसकी सूचना 10 दिवस पूर्व कार्यालय को लिखित में देना होगी।

21. अनुबंध अवधि के दौरान अधिकारियों को वाहन उपलब्ध कराने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुमति के उपरांत वाहन उपलब्ध कराना होगा।

निविदा स्वीकृति :–

जिस निविदाकर्ता द्वारा जिस भी वाहन श्रेणी की दरें न्यूनतम होंगी, उस निविदाकर्ता की उस वाहन श्रेणी की निविदा स्वीकृत की जावेगी।

संपर्क :–

म.प्र.इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि., 16–ए, सेडमैप भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल।
टेलीफोन– 0755–2571830, 2575773 Email : enggcellmpsidc@gmail.com

महाप्रबंधक (प्रशासन)

मध्यप्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल

16–ए. अरेरा हिल्स, सेडमेप परिसर, भोपाल

<u>प्रपत्र–अ</u>

<u>–: मासिक किराये पर वाहन अनुबंध हेतु निविदा क्र 51 दिनांक ...../08/2021 :–</u>

1. निविदाकर्ता का नाम : ....

2. पता : : ....
....
....

3. टेलीफोन एवं मोबाइल नंबर : टेलीफोन..
: मोबाइल ....

4. संपर्क व्यक्ति का नाम एवं पता : ....
....
....
....
: टेलीफोन ....
: मोबाइल ....

5. निविदा प्रपत्र राशि : रू 2360 (जीएसटी सहित)

6. प्रतिभूति राशि : रू 25000/–
बैंक ड्राफ्ट क्र...
दिनांक...
बैंक का नाम..

स्थान : हस्ताक्षर : ....

दिनांकः नाम : ....

पता : ....
....
....

संस्था का नाम –

संस्था की सील –

एमपी इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल

16–ए. अरेरा हिल्स, सेडमेप परिसर, भोपाल

प्रपत्र–ब

वाहन मासिक आधार पर किराये पर लेने हेतु प्रस्तावित दरें

क्र.	वाहन का प्रकार	मासिक किराया प्रति 2000 कि.मी. हेतु	अतिरिक्त कि.मी. दर (प्रति कि.मी.)	रात्रि विश्राम दर
1.	स्वीफट डिजायर (ए.सी. डीजल)			
2.	इंनोवा (ए.सी. डीजल)			
3.	इंनोवा क्रिस्टा (ए.सी. डीजल)			
4.	टाटा जेस्ट (ए.सी. डीजल)			
5.	महिन्द्रा बुलेरो (ए.सी. डीजल)			

नोटः– GST will be paid Extra as applicable.

हस्ताक्षर : ....

नाम : ....

दिनांक : ....

संस्था का नाम :..

संस्था की सील :..